माननीय न्यायमूर्ति हैंडल ए. एस. नेहरा के समक्ष

चरण सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

क्रिमिनल माइस।*1992* का ए. सं. *8965-22* अक्टूबर, *1993*

दंड प्रक्रिया संहिता *(1974* की द्वितीय*)*-धारा *482* और *156*-दायर की गई याचिका-मजिस्ट्रेट ने इसे धारा *156 (3)* के तहत जांच के लिए भेजा -

5. ***1993 (6)*** जे. टी. *(*एससी*)589.*

दाखिल की गई रिपोर्ट के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने स्टेशन हाउस ऑफिसर को याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया-मजिस्ट्रेट की ऐसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए मजिस्ट्रेट के पास एस. एच. ओ. को निर्देश देने की शक्ति है कि वह आसानी से मामला दर्ज करे।

अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा *156* अनिवार्य है और पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने के संबंध में प्राप्त जानकारी पर कार्रवाईकरनी होती है।यदि वह उस कार्यकल्प पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उप-धारा *(3)* पीड़ित पक्ष को पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में जानकारी देने काअधिकार देती है और उस आधार पर जांच की जानी है।जब भी पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी दी जाती है, भले ही मजिस्ट्रेट ने मामला दर्ज करने का आदेश नहीं दिया हो, यह पुलिस का कर्तव्य था, जो मुख्य रूप से मामले को दर्ज करने और जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए जांच के मामले से संबंधित था।मामला दर्ज करने के आदेश को अधिशेष के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन यह मजिस्ट्रेट के आदेश को दूषित नहीं करेगा।

*(*पैरा *10)*

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बलदेव सिंह।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सेवा सिंह के साथ अधिवक्ता मनमोहन सिंह।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्तिए. एस. नेहरा

1. चरण सिंह और अन्य लोगों ने यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा * *482 (*इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित*)* के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोहाना द्वारा *8* जुलाई, *1992* को पारित आदेश को रद्द करने और *9* जुलाई, ***1992*** को एफ. आई. आर. संख्या *263* को रद्द करने के लिए दायर की है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा ***447/448/392 406/323*** और ***506*** के तहत पुलिस स्टेशन**,** टोहाना में पंजीकृत है।
2. मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताया गया है कि जसविंदर सिंह-प्रतिवादी संख्या *2* ने *27* मई, *1992* को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक आपराधिकशिकायत दर्ज की, जिस पर मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया कि शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *156 (3)* के तहत जांच के लिए थाना हाउस अधिकारी**,** पुलिस स्टेशन, टोहाना को भेजा जाए और थाना हाउस अधिकारी, टोहाना की रिपोर्ट *11* जून, *1992* के लिए बुलाई जाए।स्टेशन हाउस ऑफिसर, टोहाना ने मामले की जांच की और *2* जुलाई, *1992* को अपनी जांच

रिपोर्ट प्रस्तुत की।विद्वान मजिस्ट्रेट ने स्टेशन हाउस ऑफिसर, टोहाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर *8* जुलाई, *1992* का विवादित आदेश पारित किया, जो इस प्रकार हैः—

"वर्तमानः—श्री डी. के. धमीजा, अधिवक्ता के साथ शिकायतकर्ता।वर्तमान शिकायत संबंधित एस. एच. ओ. को भेजी गई थी

निरस्त किया जाए।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मजिस्ट्रेट को पुलिस को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा *156 (*ओ*)* के तहत मामला दर्ज करने और इसकी जांच करने का निर्देश देने का बहुत अधिकार है, जब उसने संज्ञान नहीं लिया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बलदेव सिंह ने अपनी दलीलों के समर्थन में पंजाब राज्य बनाम कश्मीरा सिंह *(1)* और सर्वोच्च न्यायालय के तुला राम और अन्य बनाम किशोर सिंह *(2)* मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।
6. प्रतिवादी नंबर *2* के विद्वान अधिवक्ता श्री मनमोहन सिंह ने तर्क दिया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विवादित आदेश कानूनी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला कानून के अनुसार दर्ज किया गया था।अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *154* का उल्लेख किया है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

> *"154.* संज्ञेय मामलों में जानकारीः*(1)* संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक जानकारी, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित रूप में दी जाएगी और आर. सी. आर. होगी।सूचना देने वाले को और ऐसी प्रत्येक जानकारी, जो उसे लिखित रूप में दी गई हो या कम या लिखित रूप में दी गई हो, उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जो इसे लिख रहा है।और उसका सार एक पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रपत्र में रखा जाएगा जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे।

2. उप-धारा *(1)* के तहत दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति सूचना देने वाले को तुरंत मुफ्त में दी जाएगी।
3. उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट जानकारी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सार, लिखित रूप में और डाक द्वारा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है।यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो वह या तो स्वयं मामले की जांच करेगी या किसी पुलिस अधिकारी को उसके अधीन जांच करने का निर्देश देगी।

1. *1992 (2)* हाल की आपराधिक रिपोर्ट।*78.*
2. ए. आई. आर. *1977* उच्चतम न्यायालय, *2401.*

इस संहिता द्वारा प्रदत्त तरीके से, और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।*"*

अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने अशोक कुमार और अन्य बनाम जसवंत राय और अन्य *(3),* और बारू राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *(4)* पर भी भरोसा किया है।

याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने से पहले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *156 (3)* के तहत पुलिस जांच का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति का अंतर जानना वांछनीय होगा, ताकि संहिता की धारा *202 (1)* के तहत जांच का निर्देश दिया जा सके।मामले के इस पहलू से निपटने के लिए, बेवरपल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम वी. नारायण रेड्डी और अन्य *(5)* में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया गया थाः—

"धारा *156 (3)* के तहत पुलिस जांच का आदेश देने की शक्ति धारा *202 (1)* द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष जांच की शक्ति से अलग है।दोनों अलग-अलग चरणों में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।पहला पूर्व-संज्ञान चरण में प्रयोग किया जा सकता है, दूसरा संज्ञान के बाद के चरण में, जब मजिस्ट्रेट मामले की जाँच में होता है।

इसलिए, संज्ञेय अपराध करने के संबंध में शिकायत के मामले में, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा *190 (1) (ए)* के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले धारा *156 (3)* के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।लेकिन यदि वह एक बार ऐसा संज्ञान लेता है और अध्याय *XV* में सन्निहित प्रक्रिया को शुरू करता है तो वह पूर्व-संज्ञान चरण में वापस जाने और धारा *156 (3)* का लाभ उठाने के लिए सक्षम नहीं है।"

7. पंजाब राज्य बनाम कश्मीरी सिंह के मामले *(*उपरोक्त*)* में इस अदालत की खण्ड पीठ के फैसले का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से यह संकेत मिलता है कि शिकायत *13* सितंबर, *1980* को अदालत में दायर की गई थी और शिकायतकर्ता के साक्ष्य के लिए इसे *19* सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। *1980* में।और उसके बाद *16* अक्टूबर, *1980* को मंगाई सिंह *(*पीडब्लू-*1)* का बयान था
3. *1992(1)* हाल की आपराधिक रिपोर्ट *603*।
4. *1990 (1)* हाल की आपराधिक रिपोर्ट *195*।
5. *1976* एस. सी. *(*सीआरएल।*)380.*

रिकॉर्ड किया गयाःकि इसके बाद, मामले को *12* मार्च, *1981,7* मई, *1981* और अंत में *28* मई, *1981* सहित विभिन्न तिथियों के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन बुध सिंह शिकायतकर्ता द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने *21* मई, *1981* को शिकायत को संहिता की धारा *156 (3)* के तहत मामला दर्ज करने और जांच के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन घमकौर साहिब को भेज दिया।इस मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की खण्ड पीठ यह अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा *156 (3)* के तहत इस तरह के आदेश की स्पष्ट रूप से परिकल्पना नहींकी गई है।पंजाब राज्य बनाम कश्मीर ए. सिंह का मामला *(*उपरोक्त*)* स्पष्ट रूप से एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां मजिस्ट्रेट ने पहले ही अपराध का संज्ञान ले लिया था और उक्त मामले में ट्रायल मजिस्ट्रेट ने पहले ही कुछ सबूत दर्ज कर लिए थे, इसलिए, मजिस्ट्रेट कानूनी रूप से मामले में संहिता की धारा *156 (3)* के तहत अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था।जबकि तत्काल मामले में, मजिस्ट्रेट ने पूर्व-संज्ञान स्तर पर संहिता की धारा *156 (3)* के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है।इस प्रकार, उपरोक्त प्राधिकरण स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य है और मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

8. थी 'ऑनबल'> आर. सुप्रीम कोर्ट ने इंद तुलाइम रामद अन्य बनाम किशोर सिंह के मामले *(*ऊपर*)* को निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः—

"एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *156 (3)* के तहत केवल पूर्व संज्ञान स्तर पर जांच का आदेश दे सकता है, अर्थात धारा *190,200* और *204*के तहत संज्ञान लेने से पहले और जहां एक मजिस्ट्रेट अध्याय *14* के प्रावधानों के तहत संज्ञान लेने का फैसला करता है, वह कानून में धारा *156 (3)* के तहत किसी भी जांच का आदेश देने का हकदार नहीं है, हालांकि उन मामलों में जो धारा *202* के प्रावधान के तहत नहीं आते हैं, वह पुलिस द्वारा जांच का आदेश दे सकता है जो संहिता की धारा *202* द्वारा अनुध्यात जांच की प्रकृति में होगी।"

8. प्रतिवादी सं. *2* के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह-विन यूबरूनराम और *37*थर्स बनाम थेटस्टैट हरियाणा और दूसरे का मामला *(*ऊपर दिया गया*)* वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।इस न्यायालय द्वारा उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र ने शिकायत में प्रकट अपराध का संज्ञान नहीं लिया था जैसा कि संहिता की धारा *190 (1) (ए)* के तहत विचार किया गया था और इस तरह, उन्हें कानूनी रूप से मामला दर्ज करने के बाद संहिता की धारा *156 (3)* के तहत जांच का निर्देश देने का अधिकार था। संहिता की धारा *156 (3)* जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने कार्य किया है, निम्नानुसार प्रदान करती हैः—

"156 (3) धारा *190* के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट उपरोक्त जांच का आदेश दे सकता है।*"*

गोपाल दास सिंधी और अन्य बनाम असम राज्य और एक अन्य *(6)* मामले में, उनके लॉर्डशिप्स ने कहा कि संहिता की धारा *190* के प्रावधानों का मतलब यह नहीं है कि एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, एक मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए बाध्य है यदि शिकायत में बताए गए तथ्यों से अपराध का खुलासा होता है।उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

> *"*हम धारा *190* के प्रावधानों को इस अर्थ में नहीं पढ़ सकते हैं कि एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, एक मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए बाध्य है यदि शिकायत में बताए गए तथ्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा करते हैं।हम धारा *190* में 'मई' शब्द का अर्थ 'आवश्यक' करने में असमर्थ हैं।इसका कारण स्पष्ट है।संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत धारा *156 (3)* के तहत शिकायत को जांच के लिए पुलिस को भेजने में मजिस्ट्रेट को उचित ठहरा सकती है।मजिस्ट्रेट का समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है, जबकि मुख्य रूप से संज्ञेय अपराध से जुड़े मामलों में जांच करने का कर्तव्य पुलिस के पास है।दूसरी ओर, ऐसे अवसर हो सकते हैं जब मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और किसी संज्ञेय अपराध का संज्ञान ले सकता है।यदि वह ऐसा करता है तो उसे संहिता के अध्याय *XVI* में दिए गए तरीके से आगे बढ़ना होगा।*"*

कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल बनाम अबनी कुमार बनर्जी *(7)* के मामले में श्री न्यायाधीश दास गुप्ता की टिप्पणियों का उल्लेख करनेके बाद, यह आगे कहा गया है:—*1*

> *"*न्यायाधीश श्री दास गुप्ता की टिप्पणियों से यह स्पष्ट होगा कि जब कोई मजिस्ट्रेट अपना दिमाग विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही के उद्देश्य के लिए नहीं लगाता है*!*अध्याय *XVI* लेकिन किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई करने के लिए, उदाहरण के लिए, धारा *156 (3)* के तहत जांच का आदेश देना या जारी करना

6. ए. आई. आर. *1961* एस. सी. *986.*
7. ए. आई. आर. *1950* कैल. *437.*

जाँच के उद्देश्य से एक तलाशी वारंट, उसे किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए नहीं कहा जा सकता है।*"*

इस प्रकार, मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है जब वह स्वयं संज्ञान लेने के बजाय, संहिता की धारा *156 (3)* के तहत जांच के लिए पुलिस को शिकायत भेजता है।

10. संहिता की धारा *156* अनिवार्य है और पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने के संबंध में प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई करनी होती है।यदि वह उस सूचना पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उप-धारा *(3)* पीड़ित पक्ष को पुलिस अधीक्षक को सूचना की प्रतीक्षा में देने का अधिकार देती है और उस आधार पर जांच की जानी है।जब भी किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी पुलिस को दी जाती है, तो मामला दर्ज करना पड़ता है।उस दृष्टिकोण से देखते हुए, भले ही मजिस्ट्रेट ने मामला दर्ज करने का आदेश नहीं दिया था, यह पुलिस का कर्तव्य था, जो मुख्य रूप से मामले को दर्ज करने और जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए जांच के मामले से संबंधित था।मामला दर्ज करने के आदेश को अधिशेष के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन यह मजिस्ट्रेट के आदेश को दूषित नहीं करेगा।

11. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोहाना द्वारा पारित *8* जुलाई, *1992* के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है और इसलिए, *9* जुलाई, *1992* की प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्या *263* रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझसके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिकउद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्तरहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा